POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.04.2025

1.क्राइम ब्रांच नोएडा व थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नोएडा विकास प्राधिकरण की एफ0डी0 बनाकर 3 करोड 90 लाख रूपये बैंक ऑफ इंडिया नाम से स्वयं नोएडा विकास प्राधिकरण का कर्मचारी बताकर फर्जी खाता खुलवाकर स्थानांतरण कर धोखाधडी करने वाला 25 हजार रूपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 11.04.2025 को क्राइम ब्रांच नोएडा व थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्राधिकरण की एफ0डी0 बनाकर 3 करोड 90 लाख रूपये स्थानांतरण कर धोखाधडी करने वाला 25 हजार रूपये के ईनामी अभियुक्त वरूण कुमार त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी को राम नगर एक्सटेंशन थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- वादी ने दिनांक 04.07.2023 को थाना सेक्टर-58, नोएडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अपने बैंक खातों में जमा धनराशि को अधिकत्तम ब्याज देने के आधार पर बैंक ऑफ इण्डिया सैक्टर-62 को रू0 200 करोड़ की एफडी को स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 21.06.2023 को बैंक खाता संचालन हेतु भी पत्र निर्गत किया गया। बैंक ऑफ इण्डिया सेक्टर-62 द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.06.2023 एवं ई-मेल के द्वारा बैंक खाता खोले जाने की पुष्टि की गयी। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा रू0 100-100 करोड़ की धनराशि दिनांक 26.06.2023 को एचडीएफसी बैंक सैक्टर-18 शाखा एवं इण्डियन बैंक सेक्टर-61 के खातों से भेजकर उपरोक्त कुल धनराशि रु 200 करोड़ की एफडी बनाकर कर नोएडा प्राधिकरण को उपलब्ध कराने को कहा गया। इस संबंध में बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा रू0 100-100 करोड़ की दो एफडी दिनांक 26.06.2023 की मूल प्रति को प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी। दिनांक 03.07.2023 को बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सैक्टर-62 द्वारा दिये गये एफडी की पुष्टि करने के लिये बैंक शाखा आया तो पता चला कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा धनराशि रु 200 करोड़ की एफडी नहीं बनवायी गयी थी बल्कि उस खाते से दिनांक 30.06.2023 को रू0 3.90 करोड़ किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया गया प्राधिकरण के खाते में जमा धनराशि फ्रीज करते हुए बैंक शाखा द्वारा तत्काल रु0 9 करोड़ के स्थानांतरण को रोक दिया गया तथा प्राधिकरण द्वारा जारी वित्त नियंत्रक महोदय एवं अधोहस्ताक्षरी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये हुये प्रपत्र मिले तथा उनके मूल हस्ताक्षर वाले प्रपत्र बैंक में नहीं मिले तथा बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सेक्टर-62 द्वारा दिनांक 26.06.2023 को उपलब्ध करायी गयी रू0 100-100 करोड़ की दो एफडी भी फर्जी एवं कूट रचित बताया है तथा बैंक में प्राधिकरण द्वारा खोले गये खाते को अब्दुल खादर नामक व्यक्ति द्वारा संचालित करना बताया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित बैंक के कर्मियों द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी एवं

कूटरचित प्रपत्र एवं एफडी तैयार करते हुये प्राधिकरण को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंच गयी है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-256/2023 धारा 420, 467, 468, 471,120बी, 409 भादवि पंजीकृत किया गया। इन लोगो द्वारा धोखाधड़ी के शुरुआती चरण में बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों में जालसाजी की गई। इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपराधियों ने नोएडा प्राधिकरण के नाम से खाता खोलने के इरादे से बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया। दुर्भाग्य से नोएडा प्राधिकरण द्वारा बीओआई को जारी किया गया मूल पत्र कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इसे एक जाली दस्तावेज से बदल दिया गया था। जिन अपराधियों ने यह कृत्य किया उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

जाली दस्तावेज को बीओआई तक पहुंचाने वाले अभियुक्त अब्दुल खादर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अभियुक्त अब्दुल खादर द्वारा नोएडा प्राधिकरण के खाते के लिए अधिकृत खाता संचालक होने का दावा किया था। अपनी पहुँच का फायदा उठाते हुए, इस व्यक्ति ने 30 जून, 2023 को बीओआई खाते से 3.9 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया। पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मनु भोला था, जिसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सारी साजिश रची थी।

इस मुकदमे में पहले अभियुक्तों 1. अब्दुल खादर 2. राजेश पाण्डेय 3. सुधीर 4. मुरारी व 5. राजेश बाबू 6.मन्नू भोला 7. त्रिदिब दास 8. राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा 9. अजय कुमार पटेल की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त वरूण कुमार त्यागी ने बताया कि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नोएडा विकास प्राधिकरण की 200 करोड रूपये की फर्जी एफ0डी0 बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सैक्टर-62, नोएडा में बनवाकर नोएडा विकास प्राधिकरण को देकर और एफ0डी0 के खाते में जमा 200 करोड रूपये को 03 तीन खातो में करीब 3.90 करोड रूपये ट्रांसफर किया गया तथा जब 9 करोड रूपये ट्रांसफर कर रहे थे बैंक केा शक हो गया और हमारे एक साथी अब्दुल को पुलिस ने पकड लिया था। यह सारा पैसा 1. अब्दुल 2. राजेश पाण्डेय, 3. सुधीर, 4. मुरारी व 5. राजेश बाबू व अन्य अभियुक्तगण ने हवाला के माध्यम से दिल्ली में नकद प्राप्त कर लिया। इस काम से मुझे लगभग 4 लाख रूपये मिले थे। बाकि पैसा अन्य लोगो में बंट गया था तथा अपने सह अभियुतगणो से भी अपनी पहचान छिपाने के लिये केवल त्यागी नाम ही बताया था ताकि मै गिरफ्तारी से बच सकूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. वरूण कुमार त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी निवासी 1/3576ए रामनगर एक्सटेंसन गली नं0 03, त्यागी कालोनी थाना मानसरोवर पार्क नोर्थ ईस्ट दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-256/2023 धारा 420, 467, 468, 471,120बी, 409 भादवि थाना सैक्टर-58 जिला गौतमबुद्धनगर

2. थाना इकोटेक-03 पुलिस द्वारा घरों में चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 08 कम्प्यूटर एलईडी मॉनिटर व 02 कम्प्यूटर स्पीकर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **11.04.2025** को **थाना इकोटेक-3 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये घरों में चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों 1. अमरीश पुत्र रामऔतार 2. समीर पुत्र इकरार 3. आसिब पुत्र आगाज को चोरी के माल के साथ पुराना सुत्याना वाले पुश्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से कुल 08 कम्प्यूटर एलईडी मॉनिटर व 02 कम्प्यूटर स्पीकर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अमरीश पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम खेडा बीबी जेई थाना शाहबाद जिला हरदोई उम्र 35 वर्ष वर्तमान पता किराये का मकान ग्राम गढी चौखण्डी थाना फेस-3 जनपद गौतमबुद्धनगर,
2. समीर पुत्र इकरार निवासी बिसौली, बदायूँ उम्र 19 वर्ष हाल पता ग्राम सादुल्लापुर जनपद गौतमबुद्धनगर,
3. आसिब पुत्र आगाज अली निवासी ग्राम धनौली थाना बिल्सी जिला बदाँयू उम्र 19 वर्ष, हाल पता किराये का मकान ग्राम सादुल्लापुर थाना ईकोटेक-3 जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 130/2025 धारा 317(5) बीएनएस थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 08 कम्प्यूटर एलईडी मॉनिटर व 02 कम्प्यूटर स्पीकर